फोन/फैक्स नं0- 01375-224233
E-Mail
dfobarkot@rediffmail.com

# कार्यालय
## प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

पंत्राक–1328 /12–1 दिनांक,बड़कोट,दिसम्बर, 05 ,2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत बड़कोट तिलाड़ी हल्का वाहन मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने एवं डमरीकरण कार्य हेतु 0.553 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0, बड़कोट को हस्तान्तरण प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या– (एफ0पी0/यू0के0/रोड़/10386/2015)

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के ई0डी0एस0 क्योरी दिनांक– 19.06.2017।

महोदय,

नोडल अधिकारी की ई0डी0एस0 क्योरी दिनांक– 19.06.2017 से विषयगत मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्ती की निराकरण सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक– 144/4भू0अ0 दिनांक– 14.09.2017 तथा 1886/4भू0अ0 दिनांक– 22.11.2017 से इस कार्यालय को प्रेषित किया है। जिसकी निराकरण सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

| Querry | Shortout querry by user agency |
|---|---|
| 1- The proposal mention that the proposal is not likely to generate any employment thisseems unlikely and may be reviewed | The project generate permanent/regular employment (no of person)=35 and temporary employment (no of person)-450 also in update no of employment generate in online file in E. Point. |
| 2- The note containing justification for locating the project in forest land does not specify the justification the particular proposal. | The note containing justification for locating the project in forest land in annuxure no- 11 also update in online file in point No-D-(1) and also submitted in hard copy for nodal office and bharat sarkar in medium of dfo barkot office level submitted. |
| 3- The area propose for diversion when seen on google earth seem to bave existing road it may be explained if diversion of the land | In online point B-b-(1) the option of submit pdf does not seen in online file so the querry submitted in additional annuxure or also submitted in hard copy in medium of dfo barkot level short out querry-the road is existing L.V road and proposed to be Upgarded to |

| | | |
|---|---|---|
| | forest (conservation) act was sought before construction of the existing road. | motar road by uttarkhand govt. and diversion of this land under forest conservation act 1980 was sought vide nodel officer and chief conservation van circle uttar pardesh, lucknow L-118/14-3-1990 van anubhag-3(in annuxure no – 1) attached hard copy. |
| 4- | The FRA certificate of Dm states the date of meeting of DLC 09-12-2014 While the gram sabha date has been mentioned as 19-07-2015 the meeting of DLC could Not have proceeded gram sabha meeting this may be reviewed. | The date of gram sabha in FRA certificated mentioned is 19-01-2015 and subdivisional is 19-01-2015 and DM certicate is 02-02-2015 Corrected FRA uploaded in part-1 and the original hard copy of FRA has been submitted already in previous querry by user agency medium of DFO barkot uttarkashi level to the nodel office, hence the original FRA of coloured copy has been submitted by user agency at dfo office. |

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
बड़कोट

पत्रांक 1886/4 म्०८ क
सेवा में,

दिनांक 22/11/2017

प्रभागिय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट,उत्तरकाशी

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगॉव अन्तर्गत बड़कोट तिलाडी हल्का वाहन मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एंव डामरीकरण कार्य(ल0 2.00 कि0मी0) 0.55 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 बडकोट को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।की स्वीकृति विशयक प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 765/12–1(1) दिनांक बडकोट 23.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक में आपको सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पत्रांक 1474/4 भू0अ0 दिनांक 14.09.2017 : सन्दर्भ मे विभाग द्वारा पूर्व मे पायी गयी कमीयो का निराकण करके आपके कार्यलय मे दिनांक 15.09.2017 मे मूल रूप से प्रस्तुत चा कार्पियों मे जमा कर दी गयी थी जिसको पुनः आपके कार्यलय मे प्रेषित किया जा रहा है।

स्लगनः– उपरोक्तानुसार – 4 Coloured original hard Coby of F.R.A
– 4. No of Annuxure-11

Afomar 22/11/17
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बडकोट

पत्रांक / दिनांक / /2017
प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ताआ तृतिय का सूचनार्थ व अग्रिम आवाश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
वडकोट

आलोचित्रकार कृ० आ० का० करें,
प्र०व० 22/11/17

प्रपत्र 11

| | |
|---|---|
| परियोजना का नाम : | जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत बडकोट तिलाडी हल्का वाहन मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करना एंव डामरीकरण कार्य हेतु (लम्बाई 2.00 कि0मी0) 0.553 है0 वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 बडकोट को प्रत्यावर्तन । |

## प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मार्ग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।

Presently the road is light vechile road and it connect nagar palika barkot to naugaun –pounti-rajgarhi –sarnol motar road and connects more than 200 villages of banal patti ,the mani mandi/marketing centre of villages are barkot and also distt. Head quarters uttarkaswhi and also yamnotri dhaam.it is shortest route to connect banal patti to barkot and mostly used by villages for communication.the road is constructed light vehicle road and after increasing density of traffic its is required to connect this L.V.R to motar road so that heavy vehicle can also utilize this road and being shortest route saving of timed and fuel etc .transportation and charges helps upliftmant of ecnomy of villages ,present time the heavy vehicle can not through Naugaun and 15 km extra length and traffic jaam problem at Naugaun.,the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further , due to non –existent of the road connectivity the area remains backward in all respects.The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and aggriculture.The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Haldi,Adrak,Mirch,Lehsoon,Dhan,Aaloo Etc.on their feet or by mules to the near by market.

If the road connectivity is provided to the villagers it shall enhance the social and economical developement of this area and migration of the people from the village shall be minimized.The forest land area falling in the proposed aligement of the road witch is about **0.553** Hectare has been surveyed to the minimum and also the aligement of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree falling . Other than the proposed aligement for the road,there is no such aligement which shall reduce the diversion of forest area or falling of trees.The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00 mtr and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological investigation along the proposed aligement has been carried out wich also states that the proposed aligement of the road is safe for the construction .There are no graveyards,religious,historical/monumental or legendary places falling in the proposed aligement of the road.

In view of the above facts and public intrest ,it is requsted that the forest land area of **0.553 Hectare** may kindly be diverted for the construction of the road.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
बड़कोट, उत्तरकाशी

14/09/17
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बडकोट (उत्तरकाशी)

Enclosure-1

Enclosure No-1

सं०- एम- 118 /14-3-1990.

प्रेषक,

श्री एस०पी० घिल्डियाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग-3

बड़कोट - तिलाड़ी शहीद मार्ग

लखनऊ / दिनांक / 27 जनवरी, 1990

विषय:- सार्वजनिक निर्माण विभाग को वन भूमि निःशुल्क हस्तान्तरण की अनुमति।

(10)

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग को संलग्न विवरण के अनुसार वन भूमि के निःशुल्क हस्तान्तरण की निम्न शर्तों पर अनुमति प्रदान करते हैं :-

(1) वह उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर जो अन्तिम निर्णायक तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।

(3) उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी जब कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहे यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगा।

(4) वन विभाग तथा उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब से आवश्यक समझे प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5) कथित भूमि हस्तान्तरण के बाद भी आरक्षित /रक्षित वन भूमि बनी रहेगी उसके वर्तमान वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(6) सार्वजनिक निर्माण विभाग मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण करेगा।

तदर्थ

Photocopy Attested
Assistant Engineer
Cons. Div. P.W.D. Barkot

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

...तिपूर्ति रोपण तथा प्रकरण विशेष के सम्बन्ध में [illegible] कालम (7) में अंकित है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण शासनादेश एल-643/14-3-627/89 दिनांक 30.11.1989 के अनुसार सुनिश्चित कराया जाय।

(8) क्षतिपूर्ति रोपण वन का व्यय पैरा - में निर्धारित दर के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के पूर्व वसूल किया जायेगा। इस धनराशि से सम्बन्धित उप वन संरक्षक योजनानुसार क्षतिपूर्ति रोपण वन करना सुनिश्चित करेंगे।

(9) वन क्षेत्र में परियोजना कार्य कर रहे मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिये वनों को हानि न पहुँचाये इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ईंधन की लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करायेगा या ईंधन की लकड़ी की कीमत उनके वेतन या मजदूरी में से काट ली जायेगी।

(10) वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा करवाया जायेगा। यदि किसी कारणवश सार्वजनिक निर्माण विभाग को खड़े वृक्ष सौंपे जाते हैं तो उसका सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त किया जायेगा।

(11) भारत सरकार के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट में दिए गये मार्ग निर्देशों जिसकी प्रति संलग्न है, का पालन किया जायेगा।

2- यह आदेश प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.1.1990 को हुई बैठक में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या : ए-2-75/दस-77/14(4)/1974 दिनांक 3.2.1977 द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/- (ए0 के0 घिल्डियाल)
विशेष सचिव

Photocopy Attested
Assistant Engineer
Cont. Div. P.W.D. Barkot

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

संख्या:- एल-113(1)/14-3-1990 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वन एवं वन्य जन्तु, विभाग, 5 [illegible] लोदी रोड, नई दिल्ली।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता।

पर्वतीय विकास अनुभाग - 3

सचिवालय का सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 8

सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक

सम्बन्धित वन संरक्षक,

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, ।

आज्ञा से,

ह0/- (एम0 सी0 घिल्डियाल)
विशेष सचिव।

सेन्द्र/ 12.5.90.

Photocopy Attested
Assistant Engineer
Constt. Division PWD Barkot

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Annexure-1

FORM-I

( For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collecor Uttarkashi.

Name of Project:- Construction for Light Vehicles of Barkot Tilari Motor road.

No......60...............

Dated..2/2/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.553 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division P.W.D. Barkot** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Nagar Panchayat Barkot** village in **Barkot** tehsils.

**It is further certified that:**

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.553 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

PHTO COPY ATTESTE
Assi. Engineer
C. D. P. W. D.
BARKOT

( Indudhar Baurai )
District Magistrate,
Uttarkashi.

ENCLOSER – 2

**ANNEXURE**

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE**
**DISTRICT Uttarkashi(U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Indudhar Baurai I.A.S.District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring **0.533** hect for the **Construction Division P.W.D. Barkot** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Barkot sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

**Place;** Uttarkashi
**Dated:**.2./12./15

( Indudhar Baurai )
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committe
Uttarkashi.

PHTO COPY ATTESTE
Assi. Engineer
C D P W D.
BARKOT

(53)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– बड़कोट सिल्याड़ी हल्का मोटर मार्ग सुधारीकरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बड़कोट

उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत बड़कोट सिल्याड़ी हल्का मोटर मार्ग सुधारीकरण (———हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.553 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि .......हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.553 हे0 वन भूमि ) का लो0नि0वि0 बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 19-1-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवमूर्ति यादव, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री देवमूर्ति यादव उपजिलाधिकारी बड़कोट ——— अध्यक्ष
2– श्री जी0पी0 सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट ——— सदस्य
3– श्री ——— सहायक समाज कल्याण अधिकारी ——— सदस्य/सचिव
4– श्री ——— बी0डी0सी0 क्षेत्र अध्यक्ष नगर पंचायत बड़कोट ——— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

बड़कोट सिल्याड़ी हल्का मोटर मार्ग का सुधारीकरण परियोजना हेतु 0.553 हे0 वन भूमि

———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सुमक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बड़कोट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

PHTO COPY ATTESTE

Assi. Engineer
C D P W D.
BARKOT

(54)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] परियोजना के निर्माण हेतु [illegible] हे0 वन भूमि 0.553 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी।

**PHTO COPY ATTESTE**

**Assi. Engineer**
**C P W D.**
**BARKOT**

(51)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के बड़कोट सिलकी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं डामरीकरण का कार्य।

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नगर पंचायत बड़कोट
तहसील-बड़कोट, जिला-उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बड़कोट सिलकी हल्का मोटर मार्ग का सुधारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (-शून्य- हे0 आरक्षित वन भूमि 0.553 हे0 सिविल सोयम भूमि शून्य हे0, वन पंचायत भूमि (-x- हे0) अर्थात कुल 0.553 हे0 वन भूमि का ———— विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नगर पंचायत बड़कोट द्वारा दिनांक 19.1.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नगर पंचायत बड़कोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ———— प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता सत्य एवं सही है।

ह0/ [signature]
ग्राम सचिव
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत बड़कोट
उत्तरकाशी

ह0/ [signature]
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

PHTO COPY ATTESTE
[signature]
Assi. Engineer
C D P W D.
BARKOT

# प्रपत्र–23.1

दिनांक 19-1-015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायते नगर पंचायत बड़कोट

| कमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | जगमोहन राणा | [illegible] |
| 2 | दयाल सिंह | [illegible] |
| 3 | राजश्री लाल | [illegible] |
| 4 | कृपाल सिंह रावत | [illegible] |
| 5 | [illegible] सिंह | [illegible] |
| 6. | हरदयाल सिंह नेगी | [illegible] |
| 7. | देवेन्द्र सिंह चपाल | [illegible] |
| 8. | अनूप सिंह | [illegible] |
| | | [illegible] |
| 9. | भवान सिंह | [illegible] |
| 10. | महेन्द्र सिंह रावत | [illegible] |
| 11 - | मदन लाल | [illegible] |
| 12 - | उमेद सिंह | [illegible] |
| 13. | बलदेव लाल | [illegible] |
| 14- | जयदेव सिंह | जयदेव सिंह |
| 15- | गजेन्द्र सिंह | [illegible] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ह0/–

ग्राम प्रधान

नगर पंचायत बड़कोट

उत्तरकाशी

PHTO COPY ATTESTE

Asst. Engineer

P. W. D.

BARKOT